FORM No. III

App-A
Crm-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन मुकाम

केवी लाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा ——— नं. 166 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
10/12/2025	प्रार्थना पत्र बाह पांच पेश हुआ हर्फ स्वीकार किया जावे। नकल तरफी व अतरफी पेशगार समझाई गई। नकल तरफी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रा०प० सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 154/2011 में पेशी दिनांक 18/11/2025 को नियत थी। उक्त पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके व प्रकरण अहम हाजरी आला पैरवी में खारीज हो गया। उक्त प्रकरण पुनः सरकार पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया कि गई वजह पर मनन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना समीचीन में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि प्रकरण संख्या 154/2011 पुनः सरकार पर लिया जाता है। पत्रावली नैमल कमाल होकर सरकार से कम हो। आदेश सुनाया गया।	तहसीलदार कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़